सं.30(10)/जीएस-II/2017
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय(वित्त)

साऊथ ब्लॉक,नई दिल्ली
दिनांक:- 16 जून, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: रक्षा मंत्रालय में जी एस टी फैसिलिटेशन सेल का गठन।

इस प्रभाग के दिनांक 15 जून, 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन जिसमें दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जी एस टी को लागू करने के लिए स्टेकहोल्डरों को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय में जी एस टी फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है में आंशिक आशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर वित्तीय सलाहकार (ए एन) एवं संयुक्त सचिव, जी एस टी फैसिलिटेशन सेल के लिए नोडल अधिकारी होंगे तथा सांख्यिकीय सलाहकार, जी एस टी फैसिलिटेशन सेल के प्रमुख होंगे।

2. जी एस टी फैसिलिटेशन सेल का संशोधित गठन निम्नानुसार होगा:-

(i)	**अपर वित्तीय सलाहकार (एएन) एवं सयुक्त सचिव**	**नोडल अधिकारी**
(ii)	**सांख्यिकीय सलाहकार**	**सैल अध्यक्ष**
(iii)	प्रधान सलाहकार (लागत) के प्रतिनिधि	
(iv)	रक्षा मंत्रालय, नौसेना प्रभाग के प्रतिनिधि	
(v)	रक्षा मंत्रालय, थलसेना प्रभाग के प्रतिनिधि	
(vi)	रक्षा मंत्रालय, वायुसेना प्रभाग के प्रतिनिधि	
(vii)	रक्षा मंत्रालय, निर्माण कार्य प्रभाग के प्रतिनिधि	
(viii)	आईडीएस मुख्यालय के प्रतिनिधि	
(ix)	थलसेना एसएचक्यू के प्रतिनिधि	
(x)	वायुसेना एसएचक्यू के प्रतिनिधि	
(xi)	नौसेना एसएचक्यू के प्रतिनिधि	
(xii)	रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रतिनिधि	
(xiii)	उप वित्तीय सलाहकार (जीएस), रक्षा मंत्रालय (वित्त)	

(एस.पी.एस.तोमर)
उपवित्तीय सलाहकार (जीएस)

सेवा में,

1.जीएसटी फैसिलिटेशन सेल के नोडल अधिकारी और सदस्य
2. रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारी
3. रक्षा मंत्रालय के सभी अनुभाग
4. थलसेना एसएचक्यू/वायुसेना एसएचक्यू/नौसेना एसएचक्यू

प्रति प्रेषित:

1.सं.स.(थलसेना)/सं.स.(वायुसेना)/सं.स.(नौसेना)/सं.स.(निर्माण)/ सं.स.(स्थापना)/प्रधान सलाहकार (लागत) को इस अनुरोध के साथ कि जीएसटी फैसिलिटेशन सेल के लिए निदेशक स्तर के प्रतिनिधि को नामित करें।

2. रक्षा लेखा महानियंत्रक को इस अनुरोध के साथ कि जीएसटी फैसिलिटेशन सेल के लिए एक प्रतिनिधि को नामित करें।